



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62876

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2167 वर्ष 2026

नीरज और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद नदीम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद नदीम और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री चंद्र शेखर सरन की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 86/2024, धारा 323, 324, 325, 504, 506, 308 के तहत, पुलिस स्टेशन कैला देवी, जिला संभल में, यह प्रार्थना करते हुए कि गिरफ्तारी की स्थिति में, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि प्रारंभ में एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 325, 504, 506 के तहत दर्ज की गई थी और जांच के दौरान धारा 308 भी जोड़ दी गई। यह भी बताया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या न्यायालय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. प्रारंभ में एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 325, 504, 506 के तहत दर्ज की गई थी। और जांच के दौरान आईपीसी की धारा 308 जोड़ी गई।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं - नीरज, राम रहीस, राम खिलाड़ी उर्फ राकेश और निरंजन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) अभियोक्ता साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए;

(ii) अभियोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) अभियोक्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

20 मार्च, 2026

वीरेंद्र

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"